न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी = श्री संजीव कुमार खेदड़, आर. ए. एस.

वाद पत्र संख्या = 48/2017

दरम्यान

1. विनोद कुमार पुत्र सुवालाल आयु 40 वर्ष जाति खाती निवासी धानौता, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

— अपार्थी / वादी

बनाम

1. राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र भूरा जाति खाती, निवासी धानौता, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
2. मोहन
3. रामेश्वर } पुत्रान् काजला
4. सुवा
5. सुन्दरी बेवा काजला
6. हिमला पुत्र सुवा

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम धानौता, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

7. उमरावती देवी पत्नि बाबूलाल जांगिड़ कौम खाती निवासी धानौता, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।
9. उप तहसीलदार अमरसर जिला जयपुर, राज0।

— प्रतिवादीगण

10. मनफूली पत्नि सुवालाल
11. सत्यनारायण पुत्र सुवालाल
12. राजेन्द्र पुत्र सुवालाल
13. कमला
14. लक्ष्मी } पुत्रीयान् सुवालाल
15. रेशम

समस्त जाति खाती निवासीयान् धानौता तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

— तरतीबी प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

उपस्थिति

1. श्री रमेश मीणा वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री गिरधारी लाल यादव, वकील अप्रार्थी/वादीगण की ओर से

आदेश दिनांक :– 30/4/25

उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद में प्रार्थीगण/प्रतिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश– 7 नियम –11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत जरिये अपने अधिवक्ता श्री रमेश मीणा के द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादी द्वारा अपने वाद पत्र के शीर्षक में वर्णित अनुसार प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के विरूद्ध उक्त उनवानी वाद व प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र दायर किया है। उक्त प्रतिवादी संख्या 5 सुन्दरी बेवा काजला उर्फ कल्याण मीणा की दिनांक 01.05.2005 को तथा प्रतिवादी संख्या 6 हींगला उर्फ रामसहाय पुत्र सुरजाराम, जाति मीणा, निवासी धानौता, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर की दिनांक 21.06.1987 को मृत्यु हो चुकी है। वादी को उक्त व्यक्तियों की मृत्यु की जानकारी होने के बाद भी उक्त मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध वाद पत्र मय प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मृत व्यक्तियों के विरूद्ध होने से विधि विरूद्ध है इस कारण स्वतः ही खारीज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय हर्जे खर्चे खारीज किये जाने की आज्ञा प्रदान करे।

वकील वादी/अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब पेश कर जाहिर किया कि जिमन नंबर 1 व 2 स्वीकार है एवं जिमन नंबर 3 में प्रतिवादी संख्या 5 सुन्दरी व प्रतिवादी संख्या 6 हिमला को जमाबंदी में नाम दर्ज होने के कारण सहवन से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है, जिनका नाम हजफ करने के लिए वादी ने प्रार्थना–पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। जिमन नंबर 4 अस्वीकार है। जिमन नंबर 5 गलत है अस्वीकार है। वाद पत्र में सहवन में प्रतिवादी को पक्षकार मुकदमा बनाये जाने मात्र से वाद खारीज नहीं किया जा सकता तथा उनका हजफ करने के लिए वादी ने पृथक से श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया है। विशेष विवरण में अंकित किया कि प्रस्तत वाद पत्र विधि सम्मत नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। विवादति संपत्ति के राजस्व अभिलेख जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 5 सुन्दरी व प्रतिवादी संख्या 6 हिमला का नाम दर्ज होने के कारण संहवन से पक्षकार मुकदमा बनाया गया था। जिनका नाम हजफ करने के लिए वादी ने श्रीमान् के समक्ष पृथक से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया है। सुन्दरी के विधिक वारिसान पहले से ही पक्षकार मुकदमा है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारीज किये जाने योग्य है। यह कि आदेश 7 नियम 11 में कही भी मृत व्यक्तियों को पक्षकार बनाये जाने मात्र से वाद खारिज किये जाने का प्रावधान नहीं है साथ ही अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी के वाद लाने का वाद कारण अस्तीत्व में रहा है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी/प्रतिवादी का

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना–पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी । वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को जाहिर करते हुए जाहिर किया कि वाद पत्र को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया एवं मृतक पक्षकारों के मृत्यु प्रमाण–पत्र पेश किये। वकील अप्रार्थी/वादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को जाहिर करते हुए जाहिर किया की प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया , तथा विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । जहॉ तक आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामन्जूर किये जाने का प्रावधान है:–

क). जहॉ वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है। (ख). जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया।

(ग). जहॉ दावाकृत अनुतोष ठीक है परन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है।

(घ). जहॉ वादपत्र किसी विधि से वर्जित है। (ङ). जहॉ यह 02 प्रतियों में फाईल नहीं किया है।

(क) जहॉ वादी नियम 9 के उपबंधो की अनुपालना करने में असफल रहता है।

सहायक कलक्टर (जिला-जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

आदेश

विवादित प्रकरण में हमारे सम्मुख मूल रूप से बिन्दु (क) व (घ) विचारणीय है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में यह स्पष्ट प्रावधान है कि वाद पत्र को पढने मात्र से ही यह परिलक्षित होना चाहिए कि वाद किस विधि से वर्जित है अथवा कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं किया गया । हस्तगत प्रकरण में वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन व बाद अवलोकन पत्रावली जाहिर होता है कि वकील अप्रार्थी/वादी द्वारा वाद–पत्र जब पेश किया गया, उससे पूर्व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 फौत हो चुके थे, जिनकी पुष्टि वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण–पत्र द्वारा बखूबी होती है, जिससे यह साबित होता है कि दावा मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध दायर किया गया है, साथ ही वकील अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के जिमन नंबर 11 में इंगित किया है कि " अर्सा 10 दिन पूर्व (अर्थात दावा दायरी से 10 दिन पूर्व) वादी अपने आराजी खसरा नंबर 400 में बने मकान में बैठा हुआ था कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 आये तथा वादी को धमकी दी कि आपका मकान नये नक्शें के अनुसार उनकी भूमि की सीमाओं में आ रहा है अपने मकान को हटावे अन्यथा वे जबरदस्ती जेसीबी मशीन से उसके मकान को नष्ट

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

करके भूमि पर कब्जा कर लेंगे जिससे वादी को वाद कारण उत्पन्न होकर वाद–पत्र पेश किया जाना लाजमी हुआ है।" उक्त जिमन नंबर 11 के अनुसार वकील अप्रार्थी/वादी ने वाद कारण उत्पन्न होना जाहिर किया जबकि प्रतिवादी संख्या 5 सुन्दरी बेवा काजला उर्फ कल्याण मीणा की दिनांक 01.05.2005 को तथा प्रतिवादी संख्या 6 हींगला उर्फ रामसहाय पुत्र सुरजाराम, जाति मीणा, निवासी धानौता, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर की दिनांक 21.06.1987 को मृत्यु हो जाने से वाद कारण उत्पन्न होना उचित प्रतित नहीं होता है। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी के कथनों व प्रस्तुत दस्तावेजात से न्यायालय सहमत है। अतः वकील वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वाद कारण उत्पन्न होने का उचित व स्पष्ट कारण प्रस्तुत नहीं करने से वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद, वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से एवं मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध पेश करने से विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारीज किया जाता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर अप्रार्थी/वादीगण का हस्तगत वाद पत्र वाद कारण उत्पन्न ना होने से एवं विधि से वर्जित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। हर्जा ,खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30/4/2025 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

(संजीव कुमार खेदर)
सहायक कलक्टर (फा0ट्रेक)
शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

प्रपत्र – 5

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला–जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.
वाद पत्र संख्या :– 45 / 2017

उनवान

1. विनोद कुमार पुत्र सुवालाल आयु 40 वर्ष जाति खाती निवासी धानौता, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– अप्रार्थी / वादी

बनाम

1. राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र भूरा जाति खाती, निवासी धानौता, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
2. मोहन
3. रामेश्वर } पुत्रान् काजला
4. सुवा
5. सुन्दरी बेवा काजला
6. हिमला पुत्र सुवा

   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम धानौता, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
7. उमरावती देवी पत्नि बाबूलाल जांगिड़ कौम खाती निवासी धानौता, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।
9. उप तहसीलदार अमरसर जिला जयपुर, राज0।

– प्रार्थी / प्रतिवादीगण

10. मनफूली पत्नि सुवालाल
11. सत्यनारायण पुत्र सुवालाल
12. राजेन्द्र पुत्र सुवालाल
13. कमला
14. लक्ष्मी } पुत्रीयान् सुवालाल
15. रेशम

समस्त जाति खाती निवासीयान् धानौता तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

न्यायालय सहायक कलक्टर • शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. • सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.